भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1312
उत्तर देने की तारीख़: सोमवार, 08 दिसंबर, 2025
17 अग्रहायण, 1947 (शक)

राष्ट्रीय डिजिटल संरक्षण नीति की आवश्यकता

1312. श्री बी. मणिक्कम टैगोरः
क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या दो दशकों के दौरान विशेषज्ञों द्वारा बार-बार दी गई चेतावनियों के वावजूद देश में अभी भी राष्ट्रीय डिजिटल संरक्षण नीति का अभाव है और यदि हाँ, तो इस विलंब के क्या कारण हैं।
(ख) क्या अधिकांश सांस्कृतिक संस्थान बिना किसी समान मानकों या दिशा-निर्देशों के डिजिटलीकरण जारी रखे हुए हैं और यदि हाँ, तो मूलभूत राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की स्थापना न करने के क्या कारण हैं;
(ग) क्या 80 प्रतिशत से अधिक पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में चल रहे डिजिटल भारत दावों के बावजूद न्यूनतम डिजिटलीकरण अवसंरचना की भी कमी है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं।
(घ) क्या डिजिटल मीडिया में गिरावट और अप्रचलित भंडारण उपकरण विरासत सामग्री को अपरिवर्तनीय क्षति
पहुँचा रहे हैं और यदि हाँ, तो परिचालन संरक्षण तंत्र न होने के क्या कारण हैं;
(ङ) क्या डिजिटलीकरण पहलों के दीर्घकालिक अपर्याप्त वित्तपोषण के कारण कई परियोजनाएँ बीच में ही रुक गई हैं और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि प्रशिक्षण में शून्य निवेश के कारण अभिलेखागार एवं पुस्तकालयाध्यक्ष तकनीकी विशेषज्ञता की कमी का बार-बार उल्लेख करते हैं और यदि हाँ, तो क्षमता निर्माण के प्रति उदासीनता के क्या कारण हैं?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): राष्ट्रीय संस्मारक एवं पुरावशेष मिशन (एनएमएमए), अपनी डिजिटलीकरण नीति के अनुसार देश के असंरक्षित स्मारकों, स्थलों और पुरावशेषों का डिजिटलीकरण कर रहा है। सितंबर, 2023 में 'भारतीय धरोहर' नामक एक उपभोक्ता अनुकूल मोबाइल एप्लीकेशन आरंभ किया गया था, जो राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों और स्थलों के लिए एकल पहुंच मंच के रूप में निर्मित धरोहरों का एक भंडार है।

यह डिजिटल प्लेटफॉर्म राज्यों में संरक्षित राष्ट्रीय स्मारकों की उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियों, वास्तुशिल्प विवरण और जियो टैग किए गए स्थानों जैसी सुविधाओं के माध्यम से निर्मित धरोहर तक पहुंच प्रदान करता है।

(ख): डिजिटलीकरण की प्रक्रिया संबंधित संगठन की स्वीकार्य और प्रकाशित नीति द्वारा निर्देशित होती है।

(ग): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय, प्रत्याधिकार लिपि की सीमा से बाहर आने वाले 12,247 पुस्तकों और 10 लाख पृष्ठों का डिजिटलीकरण पहले ही कर चुका है।

(घ): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा डिजिटल की गई सामग्री को क्लाउड सर्विसेज की मदद से संग्रहित किया जाता है।

(ङ): वर्तमान में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारकों और पुरावशेषों के लिए डिजिटल प्रलेखन पहल जारी है।

(च): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुस्तकालयाध्यक्ष नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

*****